

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर (दूरभाष-0141-2713638)

क्रमांक: F.(30)/NNM/ICT-RTM/M&E/2018/201145-154 जयपुर, दिनांक 22/11/18

उपनिदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

अजमेर, अलवर, बारां, चुरू, चित्तौड़गढ़,

जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

विषय:- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपयोग में लिये जा रहे भौतिक रजिस्ट्रों को प्रत्याहृत (Discontinuation) करने बावत।

सन्दर्भ:- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.29/44/2017-WBP दिनांक 06 अक्टूबर, 2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग की सेवा प्रदायगी प्रणाली (Service Delivery System) में सुधार करने तथा समयबद्ध एवं वास्तविक मॉनिटरिंग करने हेतु ICT-RTM गतिविधि के प्रथम चरण में चयनित 9 जिलों की 46 परियोजनाओं की 10516 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को Android Smartphone उपलब्ध कराया जाकर Common Application Software (CAS) को उपयोग में लेने हेतु जिला एवं परियोजना स्तर पर दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12 दिवसीय Hands on Training का आयोजन भी किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं से सम्बन्धित सूचनाओं की प्रविष्टि हेतु 11 भौतिक रजिस्ट्रों (Physical Registers) का उपयोग किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की प्रविष्टि करने में अधिक श्रम एवं समय व्यय होता है जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, कार्यकर्ताओं को रजिस्ट्रों में भरी जाने वाले सूचनाओं के भार से मुक्त करने, आंकड़ों में होने वाली त्रुटि को कम करने, सूचनाओं के विश्लेषण से प्रभावी कार्य-योजना तैयार करने, सेवा प्रदायगी प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने तथा समयबद्ध एवं वास्तविक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ICT-RTM संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों से वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे 11 भौतिक रजिस्ट्रों को प्रत्याहृत (Discontinuation) करने तथा इसके स्थान पर "एकल मासिक रजिस्ट्र" (Single Monthly Register)(प्रति संलग्न) में सूचनाओं को संकलित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।


अतः प्रथम चरण में ICT-RTM गतिविधि हेतु चयनित 9 जिलों के उप-निदेशको एवं 46 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वर्तमान में भरे जा रहे 11 रजिस्ट्रों को प्रत्याहृत (Discontinuation) करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे तथा आगामी 1 दिसम्बर, 2018 से उक्त रजिस्ट्रों के स्थान पर "एकल मासिक रजिस्ट्र" (Single Monthly Register) में सूचनाओं की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

एकल मासिक रजिस्ट्र के प्रीटिंग कार्य नही होने तक संलग्न प्रपत्र की फोटोकॉपी में सूचनाओं की प्रविष्टि कर रिकॉर्ड संधारित करावे।



स्टॉक रजिस्ट्रर एवं अन्य ऐसी सभी सूचनाएँ जिनका प्रावधान ICDS CAS में उपलब्ध नहीं है, उनकी सूचना वर्तमान में प्रचलित रजिस्ट्ररों में ही भरी जावे।

संलग्न:- एकल मासिक रजिस्ट्रर की प्रति।


(सुषमा अरोड़ा)

निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: F.(30)/NNM/ICT-RTM/M&E/2018/ 201233

जयपुर, दिनांक 22/11/18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, निदेशालय, जयपुर।
3. सम्बन्धित जिला कलेक्टर।
4. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
5. डॉ. अरविन्द सिंघल, वर्ल्ड बैंक, राजस्थान।
6. एसीपी मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. ICT-RTM जिलों के चयनित 46 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में स्वयं तथा महिला पर्यवेक्षकों के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित 11 रजिस्ट्ररों को प्रत्याहृत करते हुये एकल मासिक रजिस्ट्रर का उपयोग सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।


(जिज्ञासा गौड़)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वृद्धि निगरानी मानकों के अनुसार बच्चों में पोषण की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

बच्चे	बच्चों की संख्या (0-3 वर्ष)		बच्चों की संख्या (3-5 वर्ष)	
	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
सामान्य (हरा)				
कम वजन (पीला)				
अति कम वजन (लाल)				
नाटापन (आयु के अनुपात में लम्बाई)				
दुबलापन (लम्बाई के अनुपात में वजन)				

7. MCHND के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण

MCHND आयोजित करने की दिनांक	
MCHND दिवस को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपलब्धता: हाँ/नहीं	
प्रसव पूर्व जाँच की संख्या (सम्पूर्ण माह में)	
माह के दौरान टीकाकरण किये गये कुल बच्चों की संख्या	
MCHND दिवस को पंचायती राज संस्थान के सदस्यों की उपलब्धता	
*कृमिनाशक टेबलेट दी गई बच्चों की संख्या (1-2 वर्ष तक के बच्चों को आधी टेबलेट तथा उससे बड़े बच्चों को एक गोली)	
माह के दौरान रेफरल की संख्या	
माह के गृह भ्रमण की संख्या	

8. *टी.एच.आर. वितरण

टी.एच.आर. की मात्रा	सामान्य बच्चे	गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताएँ	अति कम वजन वाले बच्चे
आरम्भिक शेष			
प्राप्ति			
वितरण			
अन्तिम शेष			

*उपरोक्त बिन्दुओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अद्यतन किया जाना

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

पोषण अभियान:- एकल मासिक रजिस्टर

1. सामान्य विवरण

माह/वर्ष

परियोजना का नाम:	*एल.जी.डी. कोड:	*मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र:
आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम:	आंगनबाड़ी केन्द्र का कोड:	*पर्यवेक्षक का नाम:
*आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम:	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नं.:	*आंगनबाड़ी सहायिका का नाम:

2. आधारभूत संरचना:

- ✓ आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का प्रकार पक्का/अन्य: सरकारी/किराया/अन्य:
- ✓ क्या आंगनबाड़ी केन्द्र पर पीने का पानी उपलब्ध है:- हाँ/नहीं
- ✓ क्या आंगनबाड़ी केन्द्र पर रसोई उपलब्ध है:- हाँ/नहीं
- ✓ क्या आंगनबाड़ी केन्द्र पर शौचालय उपलब्ध है:-हाँ/नहीं

3. सर्वे रजिस्टर के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र की कुल जनसंख्या

शिशु (0-6 माह)	बच्चे (6-36 माह)	बच्चे (36-72 माह)	गर्भवती महिलायें	धात्री माताएँ

4. आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्य पद्धति एवं सेवाएँ की उपलब्धता

आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्य करने के दिनों की संख्या:

आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाल पूर्व शिक्षा आयोजित करने के दिनों की संख्या:

*आंगनबाड़ी केन्द्र पर ई.सी.सी.ई. सामग्री उपलब्ध है :- हाँ/नहीं

लाभार्थी	माह में पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या		
	नाश्ता	गरम पूरक पोषाहार	टी एच.आर.
सामान्य बच्चे			
*अति कम वजन वाले बच्चे			
गर्भवती महिलायें			
धात्री माताएँ			

5. सेवाएँ

वर्ग	रिपोर्टिंग माह में 21+दिवस पूरक पोषाहार की स्थिति						शाला पूर्व शिक्षा	
	6-36		36-72		महिलाएँ		36-72 माह	
	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	गर्भवती	धात्री	लड़का	लड़की
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जाति								
अनुसूचित जन जाति								
अन्य पिछड़ा वर्ग								
सामान्य								
कुल								
अल्पसंख्यक (उपरोक्त के अतिरिक्त)								